

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59. STP/DLB/Petrol Pump/(08)/16/ 2658

दिनांक: 12/02/18

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.10(35)UDH/3/2010 Part दिनांक 20.07.2017 अनुसार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत वृहद् जनहित के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प भी आमजन की एक मूलभूत सुविधा है, अतः पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद् जनहित के अन्तर्गत माना जावें, तथा मास्टर प्लान में आरक्षित भू-उपयोग में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/36907 दिनांक 17.11.2017 अनुसार एकीकृत भवन विनियम, 2017 के प्रावधान संख्या संख्या 8.2.2(ज) अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करते हुये पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59. STP/DLB/Petrol Pump/(08)/16/ 2659-71

दिनांक: 12/02/18

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
7. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर।
9. उप नगर नियोजक, अलवर एवं भरतपुर।
10. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
11. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
12. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

12/02/2018
(आर.के. विजयवर्गीय)

अति. मुख्य नगर नियोजक